

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 782 / 2012 / भीलवाड़ा.
2. अपील संख्या – 783 / 2012 / भीलवाड़ा.
3. अपील संख्या – 784 / 2012 / भीलवाड़ा.
4. अपील संख्या – 786 / 2012 / भीलवाड़ा.
5. अपील संख्या – 788 / 2012 / भीलवाड़ा.

मैसर्स बुद्धिप्रकाश पंचौली, भीलवाड़ा.	.....अपीलार्थी (अपील संख्या-782 / 12).
मैसर्स पाटनी कंस्ट्रक्शन, भीलवाड़ा.	.....अपीलार्थी (अपील संख्या-783 / 12).
मैसर्स ब्रह्माणी कंस्ट्रक्शन, भीलवाड़ा.	.....अपीलार्थी (अपील संख्या-784 / 12).
मैसर्स नवकार कंस्ट्रक्शन, भीलवाड़ा.	.....अपीलार्थी (अपील संख्या-786 / 12).
मैसर्स कालिका कंस्ट्रक्शन, भीलवाड़ा.	.....अपीलार्थी (अपील संख्या-788 / 12).

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा. ....प्रत्यर्थी (सभी अपीलों में).

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.पी.शर्मा, अभिभाषक .....अपीलार्थीगण की ओर से.

श्री जमील जई,

उप-राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28 / 01 / 2014

निर्णय

ये सभी अपीलों अपीलार्थीगण द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 243, 208, 206, 248 व 247 / वैट / 10-11 में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेशों के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत पृथक-पृथक प्रस्तुत की गयी हैं। सभी अपीलों में अपीलीय अधिकारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेशों में निम्न तालिकानुसार सृजित मांग के विरुद्ध अपीलों को स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किये हैं। इन प्रतिप्रेषण आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा द्वितीय अपीलों प्रस्तुत की गयी हैं।

सभी प्रकरणों में विवादित बिन्दु सदृश होने के कारण एकल निर्णय द्वारा इनका निष्पादन किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक-पृथक रूप से प्रत्येक पत्रावली पर रखी जा रही है।

लगातार.....2

—: 2 :- 1-5. अपील संख्या-782, 783, 784, 786 व 788 / 2012 / भीलवाड़ा.

प्रकरणों के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थीगण के कर निर्धारण में पाया कि अपीलार्थीगण ने वेट अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत व्यवहारियों से माल क्रय कर इसका उपयोग संकर्म संविदा निष्पादन में प्रयुक्त कर, कर चुका होने का दावा किया है। कर निर्धारण आदेशों में व्यवहारियों से कर चुकी खरीद कम होने के कारण वृद्धि की; कर योग्य माल ब्रिक्स की खरीद किये जाने तथा सैण्ड स्टोन पर घोषित कर दर; ईसी पर करमुक्ति शुल्क तथा त्रैमासिक विवरण प्रपत्र देरी से पेश करने के कारण धारा 58 के तहत शास्तियां निम्न तालिका अनुसार आरोपित की गई हैं :-

अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	अपीलीय आदेश दिनांक	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण आदेश दिनांक
1	2	3	4	5
782 / 2012	243 / वैट / 10-11	6.2.2012	2008-09	1.10.2010
783 / 2012	208 / वैट / 10-11	7.2.2012	2007-08	11.3.2010
784 / 2012	206 / वैट / 10-11	8.2.2012	2007-08	18.3.2010
786 / 2012	248 / वैट / 10-11	6.2.2012	2008-09	9.8.2010
788 / 2012	247 / वैट / 10-11	7.2.2012	2008-09	15.7.2010

वैट चुकी खरीद में वृद्धि पर कर	ब्रिक्स की खरीद पर कर	बजरी/स्टोन पर कर	लेबर पर ई.सी.फीस	3(2) के तहत खरीद पर कर	शास्ति u/s 58	कुल मांग
6	7	8	9	10	11	12
26,779	29,209	6,176	24,231	—	2000	88,395 / -
620	—	—	44,427	—	2000	47,047 / -
18,093	—	—	—	—	2000	20,093 / -
—	—	—	13,550	60,113	—	73,663 / -
21,336	—	10,350	—	—	2000	33,686 / -

उक्त करारोपण के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील संख्या 786 / 2012 में धारा 3(2) के तहत पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये माल पर करारोपण उचित मानते हुए इस बिन्दु पर अपीलें अस्वीकार की। अपील संख्या 782 / 12, 783 / 12 व 786 / 12 में ई.सी. फीस लेबर कम कर निर्धारित किये जाने के बिन्दु पर अपील अस्वीकार की तथा अन्य बिन्दुओं पर अपीलें स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किये हैं। आदेशों के विरुद्ध अपीलें दायर की गयी हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रारम्भ करते हुए कथन किया कि अपीलीय आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित करते हुए प्रकरण आंशिक रूप से प्रतिप्रेषित किये गये हैं। इनका कथन है कि वेट अधिनियम की धारा 65 तथा वेट नियम 48 के तहत किसी भी प्रकार के कर या शास्ति आरोपण से पूर्व व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना नोटिस जारी किये कर व शास्ति



लगातार.....3


आरोपित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसे प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी प्रकरणों को नोटिस जारी कर कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी को क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं कर सकते। तर्क के समर्थन में राजस्थान विक्रय कर अधिकरण, अजमेर के अपील संख्या 566/83 (26/85)/एस.टी./बाड़मेर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, बालोतरा बनाम मैसर्स मीठालाल ओमप्रकाश बालोतरा में निर्णय दिनांक 10.2.1986 तथा इसी निर्णय पर आधारित राजस्थान कर बोर्ड के (2003) 5 टैक्स अपडेट 46 में प्रकाशित वाणिज्यिक कर अधिकारी, बारां बनाम केसरीमल रतनलाल के निर्णयों को उद्धरित कर कथन किया कि प्रतिप्रेषण आदेश के समय विवादित वर्षों के कर निर्धारण अवधि पार हो जाने के कारण अब नोटिस ही जारी नहीं किये जा सकते। इसलिए प्रकरणों को प्रतिप्रेषित कर विधिक भूल की है।

अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना उचित आधार के वेट चुकाकर की गई खरीद में वृद्धि करके करारोपण व ब्याज आरोपण किया गया है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता था फिर भी इस बिन्दु पर भी अपीलीय अधिकारी ने प्रकरणों को प्रतिप्रेषित कर विधिक भूल की है। तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अपील मैसर्स मुकुटवाला कंस्ट्रक्शन कम्पनी भीलवाड़ा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, (वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स) में एस.बी.सी.सी. (एस.टी.) रिवीजन नं० 25/11 में निर्णय दिनांक 28.01.2011 को उद्धरित किया है। इसलिए अपीलीय आदेश अपास्तनीय है।

अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थीगण ने कतिपय व्यवहारियों से वेट अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत व्यवहारियों से माल क्रय कर उसे संविदा कार्य में प्रयुक्त किया है, ऐसे क्रय कर चुके होने के कारण उसपर खर्च जोड़कर पुनः करारोपण अविधिक है। फिर भी अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर अपीलें अस्वीकार कर विधिक भूल की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण का यह भी कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्टोन व रिवर सैंड पर भी 4 प्रतिशत के बजाय 12.5 प्रतिशत से करारोपण किया गया है, इन्हें भी प्रतिप्रेषित कर भूल की है।

यह भी तर्क दिया कि 25 प्रतिशत से अधिक Coal ash से निर्मित करमुक्त ब्रिक्स खरीद पर भी करारोपण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया है तथा अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण प्रतिप्रेषित कर भूल की है।



अग्रिम कथन किया कि संकर्म संविदा के तहत माल की डीम्ड सेल्स के साथ मजदूरी पर करारोपण नहीं किया जा सकता। कर निर्धारण अधिकारी ने ई.सी. कार्यों में सकल ठेका राशि पर बिना मजदूरी कम किये ई.सी. फीस निर्धारित कर भूल की है। अपने तर्क के समर्थन में कर्नाटक उच्च न्यायालय के (1999) 114 एस.टी.सी. 265 (कर्नाटक) पर प्रकाशित M/s. Gounder & Comp. Vs. State of Karnataka & Ors. निर्णय उद्धरित किया है तथा तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के बिल्डर्स एसोसियेशन बनाम भारत संघ (1989) 73 एस.टी.सी. 370 में संकर्म संविदा में प्रयुक्त माल के करारोपण में लेबर भाग को पृथक कर उसके बाद करारोपण को उचित माना है। ऐसी स्थिति में ई.सी. फीस भी लेबर पार्ट को कम कर निर्धारित की जानी चाहिये। कर निर्धारण अधिकारी ने पूरे ठेका कार्य पर ई.सी. फीस निर्धारित कर भूल की है तथा अपीलीय अधिकारी ने उसकी पुष्टि करने में विधिक भूल की है।

अंत में यह कथन भी किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना विशिष्ट नोटिस के वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्तियां आरोपित कर विधिक भूल की है। लेकिन अपीलीय अधिकारी ने नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर शास्ति आरोपण हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये, जो कि अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है।

उक्त आधारों पर अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्था के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य विक्रय में वृद्धि बिना उपयुक्त सुनवाई के अवसर किये जाने के कारण अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिया गया तर्क अविधिक है कि किसी भी कर निर्धारण में प्रतिप्रेषण निर्देशों की पालना में भी नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। उद्धरित निर्णय मीठालाल ओमप्रकाश के तथ्यानुसार इसमें प्रकरण पूर्व में ही मूल कर निर्धारण के समय ही अवधिपार हो चुके थे। ऐसे प्रकरणों को प्रतिप्रेषित कर पुनः क्षेत्राधिकार नहीं दिया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरणों में कर निर्धारण समयावधि में पारित किये गये हैं इसलिए सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित करना विधिक रूप से उचित है। यह भी कथन किया कि वेट नियम 48 अनुसार कर निर्धारण अधिकारी सुनवाई के नोटिस के उपरान्त ही करारोपण कर सकता है। वेट अधिनियम की धारा 2(2) के तहत निर्धारण अधिकारी में अपीलीय अधिकारी भी शामिल है। अपीलीय




अधिकारी को वेट अधिनियम की धारा 82(7) के तहत प्रकरण प्रतिप्रेषण का भी अधिकार है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित कर विधिसम्मत आदेश पारित किये गये हैं। इसलिए अतिरिक्त करारोपण के बिन्दु पर अपीलीय आदेश पुष्टि योग्य हैं।

अग्रिम कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 8(3) के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 अनुसार विकल्प रूप में संकर्म संविदा में ई.सी. शुल्क अदा करने की सुविधा दी गई है तथा पूर्ण ठेका राशि पर ई.सी. शुल्क विहित किया गया है। उनका कथन है कि अधिसूचना तथा प्रावधानों की वैधता को अपील स्तर पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह भी तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने (1993) 88 एस.टी.सी. 204 गेनन डंकरले बनाम राजस्थान राज्य प्रकरण में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के प्रावधानों व नियमों को माननीय न्यायालय ने संवैधानिक पाया है। इसलिए माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय उचित विधि प्रतिपादित नहीं करता है।

उक्त आधारों पर अपीलीय आदेश उचित होने से सभी अपीलें अस्वीकार योग्य हैं। अतः अपीलें खारिज किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की दलीलों पर मनन किया गया, उद्धरित निर्णयों का अध्ययन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलीय अधिकारी कर निर्धारण अधिकारी को बिना नोटिस पारित कर निर्धारण आदेशों में प्रकरण प्रतिप्रेषित कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः कर निर्धारण हेतु क्षेत्राधिकार नहीं दे सकते। तर्क के समर्थन में राजस्थान बिक्री कर अधिकरण, अजमेर के मीठालाल ओमप्रकाश प्रकरण को उद्धरित किया है। उद्धरित प्रकरण में वर्ष 1969 से 1971 के कर निर्धारण अवधि के सम्बन्ध में निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 23.2.77 के आधार पर बिना नोटिस धारा 12 के तहत अवधि पार कर निर्धारण के प्रकरण में अपीलीय अधिकारी प्रकरण को प्रतिप्रेषित नहीं कर सकते। प्रस्तुत प्रकरणों में सभी कर निर्धारण समयावधि में पारित किये गये हैं, इसलिए उद्धरित निर्णय के तथ्य भिन्न होने के कारण अपीलार्थीगण को सहायता नहीं करता। अन्य उद्धरित निर्णय मैसर्स केसरीमल रतनलाल भी मीठालाल ओमप्रकाश प्रकरण में पारित निर्णय पर आधारित है।




वेट अधिनियम की धारा 82(7) के प्रावधानानुसार अपीलीय अधिकारी अपील आदेश में अपील स्वीकार, अस्वीकार या कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित भी कर सकते हैं, इसलिए अपीलीय अधिकारी प्रतिप्रेषण अधिकार के तहत उचित निर्देश के साथ प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में सक्षम हैं। इसलिए अतिरिक्त विक्रय पर करारोपण के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का तर्क रहा है कि कर निर्धारण अधिकारी ने ई.सी. जारी करते समय ठेके में मजदूरी भाग को भी शामिल करते हुए ई.सी. फीस समस्त ठेका राशि पर निर्धारित की है। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय उद्धरित कर मजदूरी पर ई.सी. फीस अविधिक होने पर बल दिया है। यह निर्विवादित तथ्य है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 जो कि वेट अधिनियम की धारा 8(3) के तहत जारी की गई है, संकर्म संविदा कार्यों में विकल्पस्वरूप ई.सी. लेने का प्रावधान किया गया है, जिसमें पूरी ठेका राशि पर ई.सी. शुल्क देय है। माननीय उच्चतम न्यायालय के 73 एस.टी. सी. 370 बिल्डर्स एसोसियेशन बनाम भारत संघ प्रकरण में निर्णय में संविदा कार्यों में माल के डीमड विक्रय पर करारोपण सम्बन्धी प्रावधानों की वैधानिकता परखी गई है। इसी आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 88 एस.टी.सी. 204 में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के तहत प्रावधानों व नियमों को संवैधानिक रूप से उचित निर्णय किया गया है। ऐसी स्थिति में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय अपीलार्थीगण के सहायक नहीं होते हैं।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थीगण ने वेट अधिनियम के तहत ही धारा 3(2) के अन्तर्गत पंजीबद्ध व्यवहारियों से माल क्रय कर कार्य संविदा में प्रयुक्त किया है, इसलिए इस पर पुनः अपीलार्थीगण के स्तर पर पुनः करारोपण विधिसम्मत नहीं होने से इस सम्बन्ध में अपील अस्वीकार कर भूल की है। वेट अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत व्यवहारी अपंजीकृत व्यवहारियों/ग्राहकों को ही विक्रय कर सकते हैं तथा कर संग्रह न कर केवल टर्नओवर पर प्रशमन राशि जमा करा सकते हैं। ऐसे व्यवहारियों से खरीद को कर चुकी खरीद नहीं माना जा सकता। वेट नियम 11(2) के तहत विक्रय में अंकित बिन्दु को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार -

#### 11. Point of tax.

- (2) The last point in the series of sales shall be the sale in such series by a registered dealer to a consumer or to an unregistered dealer or to a registered dealer for purposes other than resale within the State or to a registered dealer who has opted for payment of tax under subsection (2) of section 3 or section 5 of the Act.



उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थीगण द्वारा धारा 3(2) के व्यवहारियों से क्रय को कर चुका नहीं माना जा सकता। इसलिए करारोपण को उचित मानते हुए अपील निर्णय की इस बिन्दु पर पुष्टि की जाती है।

कर निर्धारण अधिकारी ने कर चुकी खरीद अपर्याप्त मानकर करारोपण बिना कारण बताओ नोटिस के किया गया था, जिसे अपीलीय अधिकारी ने प्रतिप्रेषित कर बाद सुनवाई कर निर्धारण किये जाने के निर्देश दिये हैं। अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं व्यवहारी अपीलार्थी अपना पक्ष कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष रखें। अतः अपीलीय आदेश की इस बिन्दु पर पुष्टि की जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

बजरी/स्टोन के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा 4 प्रतिशत करारोपण हेतु अपील प्रतिप्रेषित की गई है। अतः प्रतिप्रेषण आदेश उचित होने से इस बिन्दु पर पुष्टि की जाती है।


जहां तक Coal ash युक्त ब्रिक्स पर करारोपण का प्रश्न है, यह बाद जांच यदि करमुक्त पाई जाये तो छूट प्रदान की जावे। इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषण आदेश की पुष्टि की जाती है।

जहां तक धारा 58 के तहत शास्ति का प्रश्न है, धारा 58 के तहत शास्ति आरोपण से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी को यह संतुष्टि करनी होती है कि व्यवहारी द्वारा बिक्री विवरण प्रपत्र देरी से प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण विहित नहीं किया गया हो, ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कारण पूछा जाना आवश्यक है, जिसके अभाव में धारा 58 के तहत शास्ति आरोपण अविधिक ठहरता है। अतः धारा 58 की शास्तियां विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त की जाती हैं। इस सम्बन्ध में अपीलीय आदेश में प्रतिप्रेषण निर्देश अविधिक होने से अपास्त कर अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

प्रतिप्रेषण बिन्दुओं पर अपीलीय अधिकारी ने निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किये हैं, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर व्यवहारी अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।



( जे. आर. लोहिया )

सदस्य  
28/01/14